



कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org Phone: 01352665366

पत्र संख्या: उ०चि०से०च०बो०/परी०/11/2025-26/710

दिनांक: 21 अगस्त 2026

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 335 पदों हेतु आयोजित अभिलेख सत्यापन के उपरान्त विस्तृत सूचना

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या विज्ञापन संख्या उ०चि०से०च०बो०/परी०/11/2025-26/786, दिनांक:- 14 नवम्बर, 2025 यथा संशोधित विज्ञापन संख्या- उ०चि०से०च०बो०/परी०/11/2025-26/306, दिनांक- 15 अप्रैल 2026 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 335 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था।

उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गए डाटा के अनुसार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर, जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर बैचवार ज्येष्ठता क्रम के आधार पर, श्रेणी-उपश्रेणीवार रिक्तियों की संख्या से लगभग दो गुना अभ्यर्थियों (पूर्ण वर्ष को सम्मिलित करते हुए) को सम्मिलित करते हुए अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 18 जून, 2026 (वृहस्पतिवार/गुरुवार) से दिनांक 01 जुलाई 2026 (बुधवार) तक कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23 लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून में आमंत्रित किया गया था। अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन के समय जिन अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया गया है या अर्हता धारित नहीं करते हैं या वांछित अभिलेख मूल रूप में उपलब्ध नहीं कराये हैं या दावित श्रेणी-उपश्रेणी का वैध प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों या अन्य अभ्युक्ति वाले अभ्यर्थियों की सूची तथा अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने पर अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-क के माध्यम से प्रसारित की जा रही है।

बोर्ड कार्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार जारी अभ्यर्थियों की सूची के सम्बन्ध में यदि कोई अभ्यर्थी अपनी अनर्हता/अभ्युक्ति के सापेक्ष कोई कथन लिखित रूप में देना चाहते हैं तो अपना प्रत्यावेदन बोर्ड कार्यालय में ई-मेल ukmssbexam@gmail.com पर, व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी माध्यम से निर्धारित प्रारूप के साथ स्वप्रमाणित साक्ष्य संलग्न कर दिनांक 22 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 सांय 05.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु यह कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दस्तावेज मूल में प्रस्तुत नहीं किये हो या उपलब्ध नहीं कराये गये हो उन्हें स्वयं वांछित दस्तावेज के साथ बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यह अंतिम अवसर है, उक्त के पश्चात् किसी भी माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना का प्रचार-प्रसार किया जाना कानूनन अपराध है। जब तक बोर्ड कार्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से कोई भी सूचना प्रसारित नहीं की जाती है तब तक किसी भी भ्रामक/तथ्यहीन/झूठी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार ना करें।

संलग्नक: परिशिष्ट- क एवं प्रारूप।

ह०/-

(प्रदीप जोशी)

सचिव

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।

अभ्युक्ति/अनर्ह/अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची

अभिलेख सत्यापन तिथि	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति/अनर्हता का कारण
18-Jun-2026	6196202104	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र की वैधता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी संबंधी लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
19-Jun-2026	6196202221	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु वांछित उपश्रेणी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित सम्बन्धी आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
19-Jun-2026	6196202262	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइव्स काउंसिल में पंजीकरण प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
23-Jun-2026	6196202414	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र (दिनांकित 07 मई, 2026) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 06 मई 2026 के बाद का जारी है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 23-क में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
25-Jun-2026	6196202579	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में पूर्व सैनिक उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
25-Jun-2026	6196202640	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिनांक 18 मार्च 2025 को जारी किये गये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है जो कि 31 मार्च 2025 तक वैध है। अभ्यर्थी का उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 04 मई, 2026 तक वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
29-Jun-2026	6196202644	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का उल्लेख किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में श्री सुन्दरम भण्डारी के नाम से जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि स्वीकार्य नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक स्वयं के नाम से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
29-Jun-2026	6196202695	अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 08 मई 2026) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 04 मई 2026 के उपरान्त का है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 23-क में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

अभ्युक्ति/अनर्ह/अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची

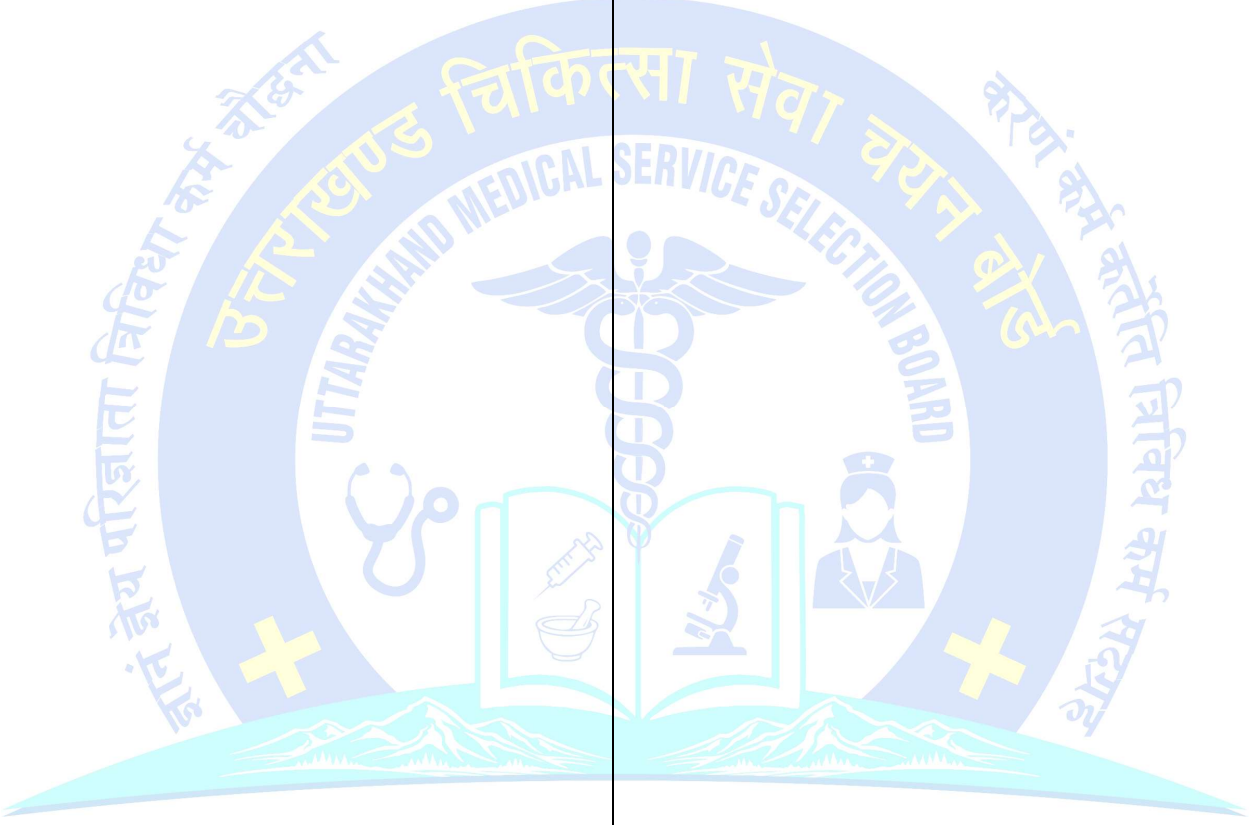
अभिलेख सत्यापन तिथि	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति/अनर्हता का कारण
29-Jun-2026	6196202702	अभ्यर्थी का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 05 मई 2026) ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 04 मई 2026 के उपरान्त का निर्गत किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 23-क में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
29-Jun-2026	6196202707	अभ्यर्थी द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में दावित अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र (20 जुलाई 2021) की वैधता ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 04 मई 2026 तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 23-क में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
30-Jun-2026	6196202765	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित प्रमाण पत्र नहीं है। अभ्यर्थी उत्तराखण्ड नर्सिंग एवं मिडवाइवज काउंसिल में पंजीकृत नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
30-Jun-2026	6196202810	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (27 मई 2026) की वैधता ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 04 मई 2026 को वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 23-क में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
1-Jul-2026	6196202853	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में पूर्व सैनिक उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
1-Jul-2026	6196202854	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में पूर्व सैनिक उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
1-Jul-2026	6196202855	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
1-Jul-2026	6196202857	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
1-Jul-2026	6196202860	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

अभ्युक्ति/अनर्ह/अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची

अभिलेख सत्यापन तिथि	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति/अनर्हता का कारण
1-Jul-2026	6196202864	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
1-Jul-2026	6196202866	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
1-Jul-2026	6196202868	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में पूर्व सैनिक उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
1-Jul-2026	6196202868	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में पूर्व सैनिक उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित दिवस पर अनुपस्थित होने पर अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है-

6196202105	6196202107	6196202110	6196202111	6196202119	6196202121
6196202127	6196202211	6196202220	6196202237	6196202250	6196202254
6196202257	6196202259	6196202268	6196202273	6196202284	6196202293
6196202313	6196202340	6196202354	6196202401	6196202407	6196202478
6196202516	6196202519	6196202529	6196202534	6196202559	6196202565
6196202566	6196202590	6196202622	6196202639	6196202668	6196202725
6196202746	6196202753	6196202797	6196202799	6196202801	6196202824
6196202846	6196202847	6196202849	6196202850	6196202851	6196202852
6196202858	6196202861	6196202863	6196202867	6196202869	6196202871
6196202873	6196202875	6196202876			

स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा- 2025			
प्रत्यावेदन हेतु प्रारूप (कृपया नीले पेन से भरें)			
अनुक्रमांक		अभिलेख सत्यापन की तिथि-	
पंजीकरण संख्या		अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम	
अभ्यर्थी का नाम		जन्मतिथि	
अभ्युक्ति/अनर्हता का कारण		प्रत्यावेदन	
			

कुल संलग्नकों की संख्या-
दिनांक:

हस्ताक्षर अभ्यर्थी
अभ्यर्थी का नाम-
पता-
दूरभाष नम्बर-